उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्याः 402817 /IV(2)-श0वि0–01(AIIB)19/2026 (77136)
देहरादून : दिनांक 08 जून, 2026

कार्यालय–ज्ञाप

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में नवीन ऋण मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2) ULIP (Loan No-4510 IND) के अन्तर्गत सिविल कार्यों हेतु रू0 60.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 402501/IV(2)-श0वि0–01(AIIB)19/2026, दिनांक 06.06.2026 में टंकण त्रुटिवश सम्बन्धित योजना के पूंजीगत लेखाशीर्षक के स्थान राजस्व लेखाशीर्षक अंकित हो गया है।

अतः शासनादेश संख्याः 402501/IV(2)-श0वि0–01(AIIB)19/2026, दिनांक 06.06.2026 में उल्लेखित अनुदान सं0–13 के **'लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9702–मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)'** के स्थान पर **'लेखाशीर्षक 4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–97–वाह्य सहायतित योजना–02–मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2) ए0डी0बी0'** पढ़ा जाय।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 08-06-2026 12:18:11

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. UD2-1/A/10/2024-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 77136)
Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 08/06/2026 12:55 pm

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः 402501/IV(2)-शा0वि0–01(AIIB)19/2026 (77136)

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक–06 जून, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में नवीन ऋण मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2) ULIP (Loan No-4510 IND) के अन्तर्गत सिविल कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तरखण्ड के पत्रांक दिनांक 08.05.2026 तथा कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांक–यू.यू.एस.डी. आई.ए./ULIP/F&A-03/681, दिनांक 20.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण सं0 : 4510-IND (मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2) (ULIP) के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के चालू सिविल कार्यों हेतु **कुल रू0 60.00 करोड़ (रूपये साठ करोड़ मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि **कुल रू0 60.00 करोड़ (रूपये साठ करोड़ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से/यथा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

(5) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत परियोजना/कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0–86/XXVII(7)36/2010-11/2019, दिनांक 08.03.2019 एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी विभिन्न शासनादेशों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(8) धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–384289/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2027 तक उपयोग सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि की ए0डी0बी0 से यथाशीघ्र प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी तथा SNA खातों की मैपिंग IFMS के साथ कर लिये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र परियोजना निदेशक से प्राप्त कर अधिकतम एक माह के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9702–मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 384289/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त। S2606013008

Digitally signed by Santosh Badoni
Date: 05-06-2026 16:43:03

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/चम्पावत/पौड़ी/नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
4– कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 06-06-2026 11:00:29

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -013

आवंटन आई डी-S26060130008
आवंटन पत्र दिनांक-06-JUN-2026

लेखा शीर्षक	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
	051-निर्माण	97-बाह्य सहायतित योजना
	02-मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) (ए0डी0बी0)	Voted

4	2	1	7	0	3	0	5	1	9	7	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	0	600000000	0	600000000
योग	0	600000000	0	600000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.60,00,00,000 (Rupees Sixty Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner